इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 395] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2012—भाद्र 23, शक 1934

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2012

क्र. डी-15-07-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 12 तथा 13 के साथ पठित धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात्:—

नियम

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, खण्ड (ङ) में, शब्द ''या मण्डी समिति के अध्यक्ष के लिए निर्वाचन क्षेत्र'' का लोप किया जाए;

2. नियम 3 के उपनियम (2) का लोप किया जाए;

3. (एक) नियम (5) में, उपनियम (1) में, अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु प्रबंध संचालक, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए उपनियम (2), (3), (4) तथा (5) के अनुसार निर्धारित अध्यक्ष के आरक्षण को रद्द कर सकेगा और विहित रीति में आरक्षण पुन: निर्धारित कर सकेगा.''

(दो) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(3-क) ऐसी मण्डी समितियां, जिनमें यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों या ऐसे प्रवर्गों की महिलाओं के लिए कृषकों के प्रतिनिधियों के कोई पद आरक्षित नहीं हैं, ऐसे मामलों में ऐसे प्रवर्गों की अभ्यर्थिता, अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण के लिए लॉट निकालने से अपवर्जित कर दी जाएगी.''

4. नियम 29 में उपनियम (2) में खण्ड (ग) का लोप किया जाए.

5. नियम 31 में, खण्ड (ख) का लोप किया जाए.

6. नियम 35 में, उपनियम, (1) में, शब्द, अक्षर तथा अंक ''12-क तथा 13'' के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर ''तथा 12-क'' स्थापित किए जाएं.

7. (एक) नियम 64 में, उपनियम (1) में, शब्द ''अध्यक्ष तथा सदस्य के पद'' के स्थान पर शब्द ''सदस्य'' स्थापित किया जाए.

(दो) उपनियम (2) में, शब्द ''अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक तथा मण्डी समिति का नाम'' का लोप किया जाए.

8. नियम 65 में, स्पष्टीकरण में, शब्द ''और अध्यक्ष के पद'' का लोप किया जाए.

9. (एक) नियम 74 में, उपनियम (2) में, शब्द तथा अंक ''और अध्यक्ष के लिए प्ररूप 23 में परिणाम-पत्र में'' का लोप किया जाए.

(दो) उपनियम (3) के खण्ड (क) में, शब्द ''तथा अध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में मण्डी समिति का नाम'' का लोप किया जाए.

10. (एक) नियम 77 में, उपनियम (5) में, शब्द, ''या उपनियम (4)'' का लोप किया जाए.

(दो) उपनियम (7) में शब्द और अंक ''सदस्य और अध्यक्ष के लिए क्रमशः प्ररूप 22 और 23'' के स्थान पर, शब्द और अंक ''सदस्य के लिए प्ररूप 22'' स्थापित किए जाएं.

(तीन) उपनियम (8) का लोप किया जाए.

11. नियम 78 में, उपनियम (1) के खण्ड (ख) का लोप किया जाए.

12. नियम 79 में, शब्द और अंक ''या 26'' का लोप किया जाए.

13. (एक) नियम 81 में, उपनियम (1) में, अंक ''23'' तथा शब्द और अंक ''या 26'' का लोप किया जाए.

(दो) उपनियम (2) में, शब्द और अंक ''या 26'' का लोप किया जाए.

14. नियम 83 का लोप किया जाए.

15. अध्याय दस के स्थान पर नया अध्याय स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''अध्याय दस

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन

84. मण्डी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन.—(1) मण्डी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के परिणामों के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात्, कलक्टर, एक मास की कालावधि के भीतर, धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन मण्डी समिति का प्रथम सम्मिलन बुलाएगा और सम्मिलन की तारीख से कम से कम 10 दिन पूर्व ऐसे सम्मिलन की तारीख, समय तथा स्थान की सूचना मण्डी समिति और संबंधित जनपद पंचायत के सूचनाफलक पर चस्पा करके प्रकाशित किया जाएगा. ऐसा राजस्व अधिकारी जो,—

(एक) वर्ग ''ग'' और ''घ'' की मण्डी समिति की दशा में, नायब तहसीलदार;

(दो) वर्ग ''ख'' की मण्डी समिति की दशा में, तहसीलदार; और

(तीन) वर्ग ''क'' की मण्डी समिति की दशा में, डिप्टी कलक्टर, से कम की पद श्रेणी का नहीं होगा, कलक्टर द्वारा ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा.

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी या सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए कलक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन प्रकाशित की गई सूचना की एक प्रति सम्मिलन की तारीख से कम से कम पूरे सात दिन पूर्व मण्डी समिति के प्रत्येक सदस्य को भी रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा.

(3) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसे समय तथा स्थान पर होगा जैसा कि सभापति द्वारा नियत किया जाए:

परन्तु नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से लेकर मतदान तक की निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन की तारीख को अपराह्न पांच बजे तक सभापति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मण्डी समिति के कार्यालय में पूरी की जाना चाहिए.

(4) सभापति, सम्मिलन की सूचना में, उपनियम (3) के अधीन नियत किया गया समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसी सूचना द्वारा ऐसे निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्र आमंत्रित करेगा तथा वह तारीख तथा स्थान विनिर्दिष्ट करेगा जहां नामनिर्देशन पत्र परिदत्त किए जाएंगे.

(5) सम्मिलन का सभापति, कार्यवृत्त पुस्तिका में सभी सदस्यों के नाम अभिलिखित कराएगा तथा अपने समक्ष उनके हस्ताक्षर कराएगा और उन्हें सत्यापित करेगा.

(6) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को क्रमश: ''प्ररूप-31'' तथा ''प्ररूप-32'' में नामनिर्देशन पत्र द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी द्वारा उपनियम (3) के अधीन नियत की गई तारीख, समय तथा स्थान पर, व्यक्तिगत रूप से या उसके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा सभापति को दिया जाएगा:

परन्तु कोई भी सदस्य एक पद के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेगा तथा प्रस्तावक तथा समर्थक एक ही व्यक्ति नहीं होगा.

(7) नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, सभापति उस पर उसे प्रस्तुत किए जाने की तारीख तथा समय का कथन करते हुये एक प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित करेगा और उस पर उसका अनुक्रमांक प्रविष्ट करेगा.

(8) सभापति, सम्मिलन में, उस समय के पूर्व जिसे कि वह निर्वाचन के लिए नियत करे, सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों को उनकी जांच किए जाने के लिए समस्त युक्तियुक्त सुविधाएं देने के पश्चात् नामांकन पत्र की जांच करेगा तथा उन समस्त आपत्तियों का विनिश्चय करेगा जो कि किसी नामांकन के बारे में की जाएं. सभापति, या तो ऐसी आपत्तियों पर, यदि कोई हों, या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, किसी नामांकन पत्र को, निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर निरस्त कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) यह कि नामनिर्देशित पत्र विहित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुआ था; या

(ख) यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि अध्यक्ष का पद आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत आता है तथा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसार अर्हित नहीं पाया जाए तो प्रस्ताव सभापति द्वारा तद्नुसार स्वीकृत नहीं किया जाएगा:

परन्तु सभापति द्वारा, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (8) के अनुसार उपाध्यक्ष के पद के लिए कार्रवाई की जाएगी.

(ग) यह कि अभ्यर्थी, प्रस्तावक या समर्थक के हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं या कपट द्वारा अभिप्राप्त किए गए हैं; या

(घ) यह कि सदस्य ने प्रस्तावक के रूप में या समर्थक के रूप में एक से अधिक अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ङ) अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अन्यथा विधिमान्य नहीं हैं.

(9) सभापति, प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार करने या रद्द करने का अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन पत्र रद्द कर दिया जाता है तो वह उसे रद्द करने के अपने कारणों का एक संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा. इस संबंध में सभापति का विनिश्चय अंतिम होगा.

(10) सभापति, नामांकन पत्र की सूक्ष्म जांच कर लेने के पश्चात् सम्मिलन में--

(क) उन अभ्यर्थियों के नाम, जिनके नामनिर्देशन पत्र अविधिमान्य घोषित कर दिए गए हों और उसके कारण; और

(ख) उन अभ्यर्थियों के नाम जिनके नामनिर्देशन पत्र अंतिम रूप से स्वीकर कर लिए गये हों,

पढ़कर सुनाएगा.

(11) यदि सम्यक् रूप से प्रस्तावित या समर्थित कोई अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की वांछा करता है तो वह सम्मिलन के सभापति द्वारा विहित किए गए समय के भीतर, लिखित में आवेदन द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा.

(12) इस प्रकार नाम वापस ले लिए जाने के पश्चात्, यदि कोई हो, सम्मिलन का सभापति अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष के पद के लिए शेष अभ्यर्थियों के नाम पढ़कर सुनाएगा.

(13) (क) यदि अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष के पद के लिए केवल एक व्यक्ति ही अभ्यर्थी हो तो उसे/सम्यक्रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा.

(ख) यदि ऐसे सम्यक्रूपेण नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक हो तो उपस्थित सदस्यों के, गुप्त मतदान से मत लिए जाएंगे.

(14) सभापति को एक ऐसी मतपेटी उपलब्ध करवाई जाएगी, जो इस प्रकार बनी हो कि उसमें मतपत्र डाले तो जा सकते हों, किन्तु उसका ताला खोले बिना निकाले नहीं जा सकते हों.

(क) सभापति, मतदान प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व उपस्थित सदस्यों के समक्ष यह प्रदर्शित करेगा कि मतपेटी खाली है, और तब उसे ताला लगा देगा और मतपत्र डाले जाने के लिए रख देगा.

(ख) उपस्थित तथा मत देने के इच्छुक प्रत्येक सदस्य को प्ररूप 30 और/या प्ररूप 29 में एक मतपत्र प्रदाय किया जाएगा, जिस पर यथास्थिति, क्रमशः अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे समस्त अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी में साफ-साफ लिखे रहेंगे या मुद्रित होंगे तथा प्रत्येक मतपत्र पर, उसे जारी किए जाने के पूर्व, उसके पिछले भाग पर सम्मिलन के सभापति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे.

(ग) प्रत्येक सदस्य, मतदान के प्रयोजन के लिए सभापति द्वारा अलग रखे गए स्थान पर सभापति द्वारा विहित क्रम से जाएगा और जिस अभ्यर्थी को वह मत देना चाहे, मतपत्र पर उस अभ्यर्थी के नाम के सामने, जिसे कि वह मत देना चाहे, क्रास चिन्ह (X) लगायेगा. कोई भी सदस्य एक से अधिक अभ्यर्थियों को मत नहीं देगा. इसके बाद मतपत्र मोड़ा जाएगा ताकि उसका दिया हुआ मत गुप्त रहे और मुड़ा हुआ मतपत्र मतपेटी में डाल दिया जाएगा.

(घ) ऐसा सदस्य जो अशिक्षित, नेत्रहीन या शिथिलांग है और अभ्यर्थी का नाम पढ़ने में असमर्थ है, या बिना किसी की सहायता के मतपत्र पर अपनी पसंद के अनुसार चिन्ह लगाने में असमर्थ है तो सभापति, ऐसे सदस्य को मतपत्र पर अभ्यर्थी के नाम के सामने अपनी पसंद के अनुसार चिन्ह लगाने के लिए मतदान कक्ष में अपने साथ अपने किसी ऐसे साथी को, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, ले जाने के लिए अनुज्ञा देगा:

परन्तु किसी व्यक्ति को एक से अधिक सदस्यों के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को किसी सदस्य के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किए जाने के पूर्व उससे "प्ररूप-33" में यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह सदस्य की ओर से उसके द्वारा दिए गए मत को गुप्त रखेगा और उसने उस दिन किसी अन्य सदस्य के साथी के रूप में अब तक कार्य नहीं किया है.

(15) उपनियम (14) के खण्ड (ग) के अधीन मतदान पूर्ण होने के पश्चात् सभापति, मतपेटी खोलेगा और सदस्यों की उपस्थिति में मतपत्रों की गणना करेगा और अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करेगा जिसने कि अधिकतम संख्या में विधिमान्य मत प्राप्त किए हैं—

(क) यदि किसी मतपत्र पर एक से अधिक नामों के सामने क्रास चिन्ह (X) लगे हों या कोई ऐसा चिन्ह या निशान हो, जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता हो या मतपत्र के पीछे सभापति के हस्ताक्षर न हो तो ऐसा मतपत्र अविधिमान्य माना जाएगा और उसकी गणना नहीं की जाएगी तथा उन्हें पृथक् रखा जाएगा. इस संबंध में सभापति का विनिश्चय अंतिम होगा. सभापति द्वारा तब विधिमान्य मतों की गणना की जाएगी और प्रत्येक अभ्यर्थी से संबंधित मतपत्रों को व्यवस्थित कराएगा.

(ख) जहां चुनाव लड़ने वाले सदस्यों के बीच मतों की समानता पाई जाती है तथा एक मत जोड़ दिए जाने से उन सदस्यों में से कोई एक अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए हकदार हो सकता हो, वहां सभापति ऐसे सदस्यों की उपस्थिति में जो वहां उपस्थित रहने की वांछा करे, ऐसी रीति में, जैसी कि वह उचित समझे, लाट डालेगा तथा लाट द्वारा चयन किया गया सदस्य, अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष के रूप में यह मानकर निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा कि उसे एक अतिरिक्त मत मिला है और अगली कार्यवाही करेगा.

(16) सम्मिलन के अव्यवहित पश्चात् सभापति, मण्डी समिति के सूचनाफलक पर चस्पा करने के लिए यथास्थिति, क्रमशः "प्ररूप 34" तथा "प्ररूप 35" में एक सूचना देगा जिसमें, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम, घोषित करेगा और निर्वाचन के परिणाम की सूचना प्रबंध संचालक तथा कलक्टर को देगा.

(17) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी निर्वाचन में मतदान या मतगणना से संबंधित किसी कर्तव्य का पालन करता हो, मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और उसकी गोपनीयता बनाये रखने में सहायता देगा और (किसी विधि या उसके अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन से भिन्न) किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी जानकारी नहीं देगा जिससे ऐसी गोपनीयता भंग हो सकती हो.

(18) नामांकन पत्र, मतपत्र, चाहे वे विधिमान्य हो या निरस्त, अस्वीकृत, और निर्वाचन से संबंधित समस्त अन्य कागज पत्र, सभापति द्वारा निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए सीलबंद लिफाफे में सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए सौंपे जाएंगे और इस कालावधि के पश्चात्, यदि कोई विधिक कार्यवाही लंबित न हो तो, उसके द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे.

(19) (क) अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधिमान्यता के बारे में विवाद उद्भूत होने की दशा में अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी, अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित समस्त सुसंगत कागज पत्र तथा विवाद के पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के साथ उस विवाद को तीन दिवस के भीतर संभाग आयुक्त को प्रस्तुत करेगा. सभापति सम्मिलन की समस्त कार्यवाही का ब्यौरा मण्डी समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित करेगा.

(ख) संभाग आयुक्त, विवाद के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, उसके प्रस्तुत किए जाने के दो मास के भीतर ऐसा विनिश्चय करेगा जैसा कि वह ठीक समझे तथा संभाग आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा.

(ग) अध्यक्ष और/ या उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी मतपत्र मण्डी समिति के सचिव द्वारा उपर्युक्त खण्ड (ख) के अधीन संभाग आयुक्त के विनिश्चय के पश्चात् या निर्वाचन से पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात्, जो भी पश्चात्वर्ती हो, नष्ट किए जा सकेंगे.

(20) अधिनियम की धारा 12 के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम, उनके निर्वाचन के अव्यवहित पश्चात्, कलक्टर द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे.

(21) अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में, ऐसी रिक्ति भरने की कार्यवाही अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (5) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उसी रीति में की जाएगी, जिसमें कि मूल निर्वाचन के लिए की जाती है.

16. नियम 84--क में, उपनियम (1) में शब्द "अध्यक्ष या" का लोप किया जाए.

17. (एक) प्ररूप—4 में, शब्द ''अध्यक्ष'' जहां कहीं भी वे आए हों विलोपित किए जाएं.

(दो) प्ररूप—7 का लोप किया जाए.

(तीन) प्ररूप—8 में, शब्द ''अध्यक्ष का लोप किया जाए.

(चार) प्ररूप—9 में, शब्द ''मण्डी समिति ..... जिला ..... के अध्यक्ष का निर्वाचन'' का लोप किया जाए.

(पांच) प्ररूप—10 में, शब्द ''मण्डी समिति ..... जिला ..... के अध्यक्ष का निर्वाचन'' का लोप किया जाए.

(छः) प्ररूप—13 का लोप किया जाए.

(सात) प्ररूप—15 में, शब्द ''मण्डी समिति ..... के अध्यक्ष का निर्वाचन'' का लोप किया जाए.

(आठ) प्ररूप—16 में, शब्द ''मण्डी समिति ..... जिला ..... से अध्यक्ष का निर्वाचन'' का लोप किया जाए.

(नौ) प्ररूप—17 में, मद क्रमांक (एक) शब्द ''मण्डी समिति ..... के अध्यक्ष का निर्वाचन'' का लोप किया जाए.

(दस) प्ररूप—18 में, शब्द ''मण्डी समिति ..... जिला ..... के अध्यक्ष का निर्वाचन'' का लोप किया जाए.

(ग्यारह) प्ररूप—19 में, शब्द ''मण्डी समिति ..... जिला ..... के अध्यक्ष का निर्वाचन'' का लोप किया जाए.

(बारह) प्ररूप—20 में, शब्द ''मण्डी समिति ..... के अध्यक्ष का निर्वाचन'' का लोप किया जाए.

(तेरह) प्ररूप—21 में, शब्द ''मण्डी समिति ..... जिला ..... के निर्वाचन क्षेत्र ..... से अध्यक्ष का निर्वाचन'' का लोप किया जाए.

(चौदह) ''प्ररूप—23'' का लोप किया जाए.

(पंद्रह) ''प्ररूप—24'' का लोप किया जाए.

(सोलह) ''प्ररूप—26'' का लोप किया जाए.

(सत्रह) प्ररूप—27 में, शब्द ''मण्डी समिति ..... जिला ..... से अध्यक्ष का निर्वाचन'' का लोप किया जाए.

(अट्ठारह) प्ररूप—28 में, शब्द ''मण्डी समिति ..... जिला ..... से अध्यक्ष का निर्वाचन'' का लोप किया जाए.

18. प्ररूप-29 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाएं, अर्थात्:—

प्ररूप—30

[नियम 84 का उपनियम (14) देखिये]

अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए मतपत्र

मण्डी समिति ..... **जिला** .....

प्रतिपर्ण	पर्ण		अनुक्रमांक
अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	मतदाता का चिन्ह
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		

. . . . . .

मतदाता के हस्ताक्षर

अनुदेश :

1. आपका केवल एक मत है.
2. आप जिस अभ्यर्थी को मत देना चाहते हैं, उस अभ्यर्थी के नाम के सामने स्पष्ट रूप से क्रास (×) चिन्ह लगाएं.
3. आप एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मतदान नहीं करेंगे.

. . . . . .

सभापति.

प्ररूप—31

[नियम 84 का उपनियम (6) देखिये]

नामनिर्देशन पत्र

अध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचन

(प्रस्तावक द्वारा भरा जाए)

मैं, एतद्द्वारा श्री / श्रीमती / कुमारी ..... को कृषि-उपज मण्डी समिति ..... जिला ..... के अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामनिर्दिष्ट करता हूं:—

01. प्रस्तावक का पूरा नाम .....

02. अभ्यर्थी के पिता / पति का नाम .....

03. अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता .....

04. अभ्यर्थी की आयु .....

05. अभ्यर्थी का निर्वाचन नामावली क्रमांक .....

06. प्रस्तावक के हस्ताक्षर दिनांक सहित .....

07. अनुमोदक का पूरा नाम .....

08. अनुमोदक के हस्ताक्षर दिनांक सहित .....

मैं इस नामनिर्देशन से सहमत हूं.

दिनांक . . . . . .

. . . . . .
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.

प्ररूप—32

[नियम 84 का उपनियम (6) देखिये]

नामनिर्देशन पत्र

उपाध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचन

(प्रस्तावक द्वारा भरा जाए)

मैं, एतद्द्वारा श्री / श्रीमती / कुमारी ..... को कृषि-उपज मण्डी समिति ..... जिला ..... के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामनिर्दिष्ट करता हूं:—

01. प्रस्तावक का पूरा नाम .....

02. अभ्यर्थी के पिता / पति का नाम .....

03. अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता .....

04. अभ्यर्थी की आयु .....

05. अभ्यर्थी का निर्वाचन नामावली क्रमांक .....

06. प्रस्तावक के हस्ताक्षर दिनांक सहित .....

07. अनुमोदक का पूरा नाम .....

08. अनुमोदक के हस्ताक्षर दिनांक सहित .....

मैं इस नामनिर्देशन से सहमत हूं.

दिनांक . . . . . .

. . . . . .
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.

प्ररूप—33

[नियम 84 के उपनियम (14) का खण्ड (घ) देखिये]

घोषणा-पत्र

मैं, ... पुत्र / पुत्री / पत्नी ..... कृषि-उपज मण्डी समिति ..... जिला ..... के सदस्य श्री / श्रीमती / कुमारी ..... जो कि निरक्षर / नेत्रहीन / शिथिलांग हैं, एवं स्वयं मतदान करने में असमर्थ हैं, की ओर से, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी पसंद के अभ्यर्थी के पक्ष में, उनका मत अंकित करने के लिए साथी के रूप में सहयोग करना चाहता / चाहती हूं और यह घोषणा करता / करती हूं कि:—

2. मेरा स्थाई पता ..... है.

3. मेरी आयु ..... वर्ष है.

4. मैंने आज दिनांक . . . . . को अब तक किसी अन्य सदस्य / मतदाता के साथी के रूप में सहयोग नहीं किया है/मतदान में सहयोग नहीं किया है.

5. मैं, अपने द्वारा श्री / श्रीमती / कुमारी ..... की ओर से दर्ज मतदान को गुप्त रखूंगा / रखूंगी.

अत: कृपया मुझे श्री / श्रीमती / कुमारी ..... की ओर से उनके पसंद के अनुसार आज दिनांक . . . . . को मतदान करने की अनुज्ञा देने का कष्ट करें.

. . . . . .

साथी के हस्ताक्षर.

श्री / श्रीमती / कुमारी ..... की घोषणा स्वीकार कर उन्हें श्री / श्रीमती / कुमारी ..... सदस्य, कृषि-उपज मण्डी समिति ..... जिला ..... की ओर से साथी के रूप में मतदान का चिन्ह लगाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है.

दिनांक . . . . . .

. . . . . .

सभापति के हस्ताक्षर.

प्ररूप—34

[नियम 84 (16) देखिये]

अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए परिणाम पत्रक (शीट)

मण्डी समिति ..... **जिला** .....

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

विधिमान्य मतों की कुल संख्या . . . . . .

अविधिमान्य मतों की कुल संख्या . . . . . .

डाले गये मतों की कुल संख्या . . . . . .

मैं यह घोषित करता हूं कि:—

नाम .....

पता .....

सम्यक् रूप में निर्वाचित हो गए / गई हैं.

. . . . . .

सभापति.

तारीख . . . . . दिन . . . . . 20 . . . . .

प्ररूप—35

[नियम 84 (16) देखिये]

उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए परिणाम पत्रक (शीट)

मण्डी समिति ..... **जिला** .....

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

विधिमान्य मतों की कुल संख्या . . . . . .

अविधिमान्य मतों की कुल संख्या . . . . . .

डाले गये मतों की कुल संख्या . . . . . .

मैं यह घोषित करता हूं कि:—

नाम .....

पता .....

सम्यक् रूप में निर्वाचित हो गए / गई हैं.

. . . . . .

सभापति.

तारीख . . . . . दिन . . . . . 20 . . . . .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2012

डी-15-07-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th September 2012

No. D-15-07-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under Section 79 read with Sections 12 and 13 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby amends already published Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Ka Nirvachan) Rules, 1997 as per provisions under sub-section (1) of Section 79 of the said Adhiniyam.

RULES

In the said rules,—

1. In rule 2, in clause (e), the words "or the Constituency for Chairman of the Market Committee' Shall be omitted;

2. sub-rule (2) of rule 3 shall be omitted.

3. (i) in rule 5, in sub-rule(1), for full stop at the end, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the managing Director may, for the reason to be recorded in writing, cancel reservation of Chairman, determined in accordance with sub-rule (2), (3), (4) and (5) and may redetermine reservation in the manner prescribed".

(iii) After sub-rule (3), the following new sub-rule shall be inserted :—

"(3-a) Such Market Committees where there is no reservation of seat of representative of Agriculturists for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, or Other Backward Classes, or Woman of these categories, as the case may be, in such cases candidature of these category shall be excluded from drawing by lots for the reservation of office of Chaiman."

4. In rule 29, in sub-rule (2), clause (c) chall be omitted.

5. In rule 31, Clause (b) shall be omitted.

6. In rule 35, in sub-rule (1), for the words, letter and figures "12-A and 13" the words, figures and letter "and 12-A" shall be substituted.

7. (i) In rule 64, in sub-rule (1), the words "to the office of Chairman and member" the words "member" shall be substituted.

(ii) In sub-rule (2), the words "and Constituency number and name of Mandi Committee for election of Chairman", shall be deleted.

8. In rule 65, in the explanation, the words "office of Chairman and" shall be deleted.

9. (i) In rule 74, in sub-rule (2) the words and figure" and result sheet in Form 23 for Chairman", shall be deleted.

(ii) In clause (a) of sub-rule (3), the words "and the name of Mandi Committee in case of election of Chairman" shall be deleted.

10. (i) In rule 77, in sub-rule (5), the words "or sub-rule (4)" shall be deleted.

(ii) in sub-rule (7), for the words and figures "Form 22 and 23 for Member and Chairman respectively" the words and figures "Form-22 for Member ", shall be substituted.

(iii) Sub-rule (8) shall be deleted.

11. In rule 78, clause (b) of sub-rule (1) shall be deleted.

12. In rule 79, words and figure "or 26" shall be deleted.

13. In rule (81), in sub-rule (1), the figure "23" and the words and figure "or 26" shall be deleted.

(ii) In sub-rule (2), the word and figure "or 26" shall be deleted.

14. Rule 83 shall be deleted.

15. for Chapter Ten, the following new Chapter shall be substituted, namely :—

"CHAPTER TEN"

ELECTION OF CHAIRMAN AND VICE-CHAIRMAN

84. **Election of the Chairman and the Vice-Chairman of market Committee.**—(1) After publication of results of the election of the Members of the Market Committee in the Madhya Pradesh Gazette, the Collector, within a period of one month, shall convene the first meeting to the Market Committee under the sub-section (1) of Section 13 and shall publish it by affixing on the Notice Board of the Market Committee and the concerned Janpad Panchayat a Notice of the date, time and place of such meeting at least ten clear days before the date of the meeting. A Revenue Officer, now below the rank of,—

(i) Naib Tahsildar, in the case of Market Committee of class 'C' and 'D';

(ii) Tahsildar in the case of Market Committee of class 'B'; and

(iii) Deputy Collector, in the case of Market Committee of Class 'A';

shall be authorized by the Collector to preside over such a meeting .

(2) A copy of the notice published under sub-rule (1) shall also be sent by the District Election Officer or by the officer authorized by the Collector to preside over the meeting, by registered post, to every member of market Committee, at least seven clear days before the date of meeting.

(3) The election of the Chairman and the Vice-Chairman shall be conducted at such time and place, as the President may fix:

Provided that the whole proceeding of election, right from submission of nomination paper to the voting, should be completed in the office of the Market Committee on the date of election upto 5 o'clock in the afternoon as per the programme prescribed by the President.

(4) The President shall specify in the notice of the meeting, the time and place fixed under sub-rule (3) and by such notice shall, invite the nomination papers of candidates for such election and specify the date and place at which the nominations are to be delivered.

(5) The President of the meeting shall get recorded the name of all the members in proceeding book and get their signature in his/her presence and verify them.

(6) A candidate for election as Chairman and Vice-Chairman shall be nominated by a nomination paper in "Form-31" and "Form-32" respectively, which shall be delivered by the candidate in person or by his proposer or seconder on the day, time and place fixed under sub-rule (3) to the President:

Provided that no member shall propose or second the nomination of more than one candidate and for one office, the proposer and the seconder shall not be the same person.

(7) On the presentation of a nomination paper, the President shall sign thereon a certificate stating the date and time of presentation of the nomination paper and enter thereon its serial number.

(8) The President shall examine the nomination paper at the meeting before the time, as he may fix, for the election after giving the members, present at the meeting all reasonable facilities for examining them and decide all objections which may be made to any nomination. The President may either on such objections or on his motion and after enquiry, if any, as he thinks necessary, reject a nominaiton paper on any of the following grounds, namely :—

(a) that the nomination paper was not received within the prescribed time limit; or

(b) after having assured that the office of the Chairman falls under reserved category and not found qualified in accordance with sub-section (1) of Section 12 of the Act, the proposal shall not be accepted accordingly by the President:

Provided that action shall be taken by the President for the office of Vice-Chairman in accordance with the sub-section (8) of Section 12 of the Act.

(c) that the signature of the candidate, proposer or seconder is not genuine or have been obtain by fraud; or

(d) that the member has subscribed, whether as proposer or seconder, the nomination paper of more than one candidate.

(e) under the provision of the Act and these rules is not otherwise legal.

(9) The president shall endorse on each nomination paper his decision either accepting or rejecting it and if the nomination paper is rejected he shall record in writing a brief statement of his reason for rejection. In this respect decision of the President shall be final.

(10) The President shall, after scrutinizing the nomination papers, read out in the meeting—

(a) the names of the candidates whose nomination papers have been declared invalid and reasons therefore; and

(b) the names of candidates, whose nomination papers have been finally accepted.

(11) If any candidate duly proposed and seconded desires to withdraw his candidature, he may by an application in writing within the time prescribed by the President of the meeting, withdraw his candidature.

(12) After such withdrawal, if any, the President of the meeting shall read out the names of the remaining candidates for the office of Chairman and / or Vice-Chairman.

(13) (a) if there is only one candidate each for the office of the Chairman and / or Vice-Chairman, he / they shall be declared to have been duly elected.

(b) in case the number of such duly nominated candidates is more than one, then the vote shall be taken by secret voting of the members present.

(14) The President shall provide for a ballot box which shall be so construed that the ballot papers can be inserted therein but cannot be withdrawn without the box being unlocked:—

(a) the President shall, immediately before the commencement of voting demonstrate to the members present that the ballot box is empty, and shall then lock it up and place it to receive the ballot papers.

(b) every member present and wishing to vote shall be supplied with a ballot paper in Form-30 and / or Form-29, in which the names of all contesting candidates for the office of Chairman and / or Vice Chairman (as the case may be) shall be written or printed legibly in Hindi and every ballot paper shall be signed on the back side by the President of the meeting before issuing it.

(c) each member shall, in the order prescribed by the President proceed to the place set apart for the purpose of voting and there makes a mark (x) on the ballot paper against the name of the candidate for whom he wishes to vote. No member shall vote for more than one candidate. The ballot paper shall then be folded so as to conceal his vote and insert the folded ballot paper in the ballot box.

(d) Such member who is illiterate, blind or infirm and is unable to read the name of the candidate or unable without assistance to make a mark on the ballot paper of his choice then the President shall permit such member to take with him a companion of not less than 18 years of age to the voting compartment for making the mark on the ballot paper against the name of the candidate of his choice:

Provided that no person shall be permitted to act as the companion of more than one member :

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of a member under this rule, he shall be required to declare, in "Form-33" that he will keep secret the vote recorded by him on behalf of the member and he has not acted as the companion of any other members on that day, as yet.

(15) After completion of voting under clause (c) of sub-rule (14), the President shall open the ballot box and count the votes in the presence of the members and declare the candidate elected who secures the largest number of valid votes.

(a) if on any ballot paper there is (X) mark against more than one name or there is any mark or sign on a ballot paper by which the voter can be identified or on the back side of the ballot paper there is no signature or the President, such ballot papers shall be considered invalid and shall not be counted and they shall be kept separate. The decision of the President shall be final in this respect. The valid votes shall then be counted by the President and the ballot paper arranged in respect of each candidate.

(b) where an equality of votes is found to exist between contesting members and the addition of one vote will entitle any of the members to be declared elected as Chairman and / or Vice Chairman, the President shall draw lots in such manner as he deems fit in the presence of the members, who may desire to be present, and the member so selected by lot shall be declared to have been elected as Chairman and / or Vice Chairman, taking it in account that he / she has got an additional vote and proceed further.

(16) Immediately after the meeting the President shall give a notice, declaring the name / names of the person / persons declared to have been elected as the Chairman and / or Vice Chairman, to be fixed on the Notice Board of the Market Committee in the "Form-34" and "Form-35" respectively and shall intimate to the Managing Director and the Collector, the result of the election.

(17) Every person who performs any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain and aid in maintaining the secrecy of voting and shall not (accept for some propose authorized by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(18) The nomination papers, ballot papers, whether valid or rejected and all other papers relating to the election, shall, in sealed packets shall be handed over to the Secretary by the President for the safe custody for a period of five years from the date of the election and after this period, if no legal proceeding is pending, shall be destroyed by him.

(19) (a) In the event of dispute arising as to the validity of election of Chairman and / or Vice Chairman, the Presiding Officer of the meeting of the election of Chairman and / or Vice Chairman shall submit within three days to the Divisional Commissioner all relevant papers related to the election of the Chairman and / or the Vice Chairman and records submitted by the parties of dispute. The President shall keep on record, details of such elections of the meeting, in the minute's book of the Market Committee.

(b) after given an opportunity of hearing to the parties of dispute, the Divisional Commissioner shall take a decision as he deems fit within two months on its submission and decision of the Divisional Commissioner shall be final.

(c) the voting papers concerning the election of the Chairman and / or Vice Chairman may be destroyed by the Secretary of the Market Committee after the decision of the Divisional Commissioner under above clause (b) or lapse of a period of five years after the election, whichever may be later.

(20) The names of the Chairman and Vice Chairman elected under Section 12 of the Act shall be published in the Official Gazette by the Collector immediately after the election.

(21) In case of a casual vacancy occurring in the office of the Chairman and / or the Vice Chairman, action for filling up such vacancy shall, subject to the provisions of sub-section (5) of Section 13 of the Act, be taken in the same manner as in the case of original election.".

16. in rule 84-A, in sub-rule (1), the words "Chairman or" shall be deleted.

17. (i) in Form-4, the words "Chairman" wherever they occur shall be deleted.

(ii) Form-7 shall be deleted.

(iii) in Form-8, the word "Chairman" shall be omitted.

(iv) In Form-9, the words "Mandi Committee . . . . . .District . . . . . Election of Chairman" shall be omitted.

(v) In Form-10, words "Mandi Committee . . . . . District . . . . . Election of Chairman" shall be deleted.

(vi) Form-13 shall be deleted.

(vii) In Form-15, the words "Chairman . . . . . ." shall be omitted.

(viii) In Form-16, the words "Chairman . . . . . " shall be omitted.

(ix) In Form-17, item No. (1) "Election of Chairman of Mandi Committee . . . . . ." shall be omitted.

(x) In Form-18, the words "Mandi Committee . . . . . District . . . . . Chairman . . . . . ." shall be elected.

(xi) In the Form-19, the words "Mandi Committee . . . . . District . . . . . election of Chairman . . . . . ." shall be deleted.

(xii) In the Form-20, the words "Chairman Mandi Committee . . . . . " shall be deleted.

(xiii) In the Form-21, the words "Mandi Committee . . . . . District . . . . . Constituency No. . . Chairman" shall be omitted.

(xiv) "Form-23" shall be deleted.

(xv) "Form-24" shall be deleted.

(xvi) "Form-26" shall be deleted.

(xvii) In the Form-27, the line "Mandi Committee . . . . . District . . . . . election of Chairman" shall be deleted.

(xviii) In the Form-28, the line "Mandi Committee . . . . . District . . . . . election of Chairman" shall be omitted.

18. after Form 29, the following Forms shall be added, namely:—

FORM-30
[See sub-rule (14) of rule 84]

VOTING PAPER FOR ELECTION OF CHAIRMAN

Market Committee . . . . . district . . . . . .

Counter foil Serial No	Foil Serial No. of the candidate	Name of candidate	Serial No. . . . . Voter's Mark
1.	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		

. . . . . .
Signature of Voter.

Instruction :

1. You have only one vote.
2. Place a cross (X) mark clearly against the name of the candidate for whom you wish to vote.
3. You must not vote for more than one candidate.

. . . . . .
President.

FORM-31
[See sub-rule (6) of rule 84]

NOMINATION PAPER

Election of the office of the Chairman
(to be filled in by the proposer)

I, hereby nominate Shri / Smt. / Ku. . . . . .as a candidate for election of the office of the Chairman of the Market Committee . . . . . district . . . . . .

1. Full name of the Proposer . . . . . .

2. Father / Husband's name of Candidate . . . . . .

3. Full postal address of Candidate . . . . . .

4. Age of the Candidate . . . . . .

5. Electoral Roll Number of Candidate . . . . . .

6. Signature of the proposer with date . . . . . .

7. Full name of the Seconder . . . . . .

8. Signature of the Seconder with date . . . . . .

I, agree with this nomination.

Date . . . . . (Signature of the candidate)

FORM-32
[See sub-rule (6) of rule 84]

NOMINATION PAPER

Election of the office of the Vice-Chairman
(to be filled in by the proposer)

I, hereby nominate Shri / Smt. / Ku. . . . . .as a candidate for election of the office of the Vice-Chairman of the Market Committee . . . . . district . . . . . .

1. Full name of the Proposer . . . . . .

2. Father / Husband's name of Candidate . . . . . .

3. Full postal address of Candidate . . . . . .

4. Age of the Candidate . . . . . .

5. Electoral Roll Number of Candidate . . . . . .

6. Signature of the proposer with date . . . . . .

7. Full name of the Seconder . . . . . .

8. Signature of the Seconder with date . . . . . .

I, agree with this nomination.

Date . . . . . (Signature of the candidate)

FORM-33
[See clause (d) of sub-rule (14) of rule 84]

DECLARATION PAPER

I, ... Son / Daughter / Wife of . . . . . .,hereby declare that, Shri / Smt. / Ku. . . . . ., member . . . . . .of Market Committee . . . . . .district . . . . . .who is illiterate / blind / infirm and is unable to cast the vote and has desired that, I act as companion to mark his / her vote in favour of candidate of his / her choice according to his /her wish on his / her behalf.

2. My permanent address is . . . . . .

3. My age is . . . . . .years.

4. I have not acted as companion of any other member/voter in voting today dated . . . . . .

5. I will keep secret the vote recorded by me on behalf of Shri / Smt. / Ku. . . . . .

Therefore, today dated . . . . . , kindly grant me permission to mark the vote on behalf of Shri / Smt. / Ku. . . . . as per his / her choice.

Date: . . . . . Signature of Companion

The declaration of Shri / Smt. / Ku. . . . . is hereby approved, and is authorised to accompany Shri / Smt. / Ku. . . . . , member, Market Committee . . . . . ., district to mark his / her vote.

Date: . . . . . (Signature of the President)

FORM-34
[see rule 84 (16)]

Result sheet for the Election of Chairman

Market Committee . . . . . .District . . . . . .

Serial No.	Name of candidate	Number of Valid Votes cast in favour of each candidate
(1)	(2)	(3)

Total No. of valid votes . . . . . .

Total No. of invalid votes . . . . . .

Total No. of polled votes . . . . . .

I, Declare that—

Name . . . . . .

Address . . . . . .

has been duly elected.

Place . . . . . .

Dated . . . . . day of . . . . . .20 . . . . .

. . . . . .

President

FORM-35
[see rule 84 (16)]

Result sheet for the Election of Vice-Chairman

Market Committee . . . . . .District . . . . . .

Serial No.	Name of candidate	Number of Valid Votes cast in favour of each candidate
(1)	(2)	(3)

Total no. of valid votes . . . . . .

Total no. of invalid votes . . . . . .

Total no. of polled votes . . . . . .

I, Declare that—

Name . . . . . .

Address . . . . . .

has been duly elected.

Place . . . . . .

Dated . . . . . day of . . . . . .20 . . . . .

. . . . . .
President

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KEDAR SHARMA, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.